5-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील वादी द्वारा वादी संख्या एक की ओर शपथ सहित पत्र प्रस्तुत किया शामिल पत्रावली किया पत्रावली दिनांक 22-8-19 को पेश हो।

22-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी के पक्ष में पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया। अन्तिम डिक्री जारी कर निर्णय खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या – 174/2019 भागीरथ बनाम सुरजाराम)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 174/2019

1 भागीरथ
2 काशीराम
3 रामप्रताप

पिसरान श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 5 किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 सुरजाराम पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 5 किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 सावित्री पुत्री सुरजाराम पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी आशाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

3 कमला पुत्री सुरजाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी आशाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

4 माया पुत्री सुरजाराम पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शिवराजसिंह खोसा अधिवक्ता वादी
2. श्री श्रवण कुमार सौलकी प्रतिवादीगण संख्या

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 22.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 नाम चक 5 ए.डब्ल्यू.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 47/43 खाता सुरजाराम जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के पत्थर नम्बर 119/336 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 7 ता 10, पत्थर नम्बर 119/338 मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 1 व 2 पत्थर नम्बर 120/336 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 14, 17, 24 कुल किला 14 कुल क्षेत्रफल 3.542 हेक्टर एवम् इसी चक के खाता संख्या 48/44 खाता सुरजाराम पत्थर नम्बर 119/336 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 11 ता 13, पत्थर नम्बर 120/336 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 4, 7, 8, 13 कुल किला 7 क्षेत्रफल 1.771 हैक्टर एवम् चक 18 के.एस.पी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 170/150 खाता सुरजाराम जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के पत्थर नम्बर 129/330 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 11 ता 15 कुल किला 5 यानि 1.265 हैक्टर इस प्रकार तीनों खातों में कुल किला 26 यानि 6.578 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। जो वाद का मुख्य आधार है।

वाद पत्र में वर्णित चक 5 ए.डब्ल्यू.एस.एम. की कृषि भूमि जो कि वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जो मुश्तैनी आराजी है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का जन्म से ही हक व हिस्सा है। तथा चक 18 के.एस.पी. की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद की गई है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की शादी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अच्छे घर में अच्छा दान दहेज देकर की हुई है। प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 अपने ससुराल में राजीखुशी निवास कर रही है, तथा वादग्रस्त आराजी में जो भी हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का बनता था वो उनके द्वारा अर्सा दराज पूर्व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1

लगातार 2

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

के पक्ष मे तर्क किया हुआ है, तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वाद पत्र की मद संख्या 2 मे दर्ज आराजी का घराघरू बंटवारा अर्सा दराज पूर्व से किया हुआ है। मुताबिक घराघरू बंटवारा वादीगण को दफा 2 वाद पत्र मे वर्णित कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण को 1 / 4 हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

वादीगण एंव प्रतिवादीगण परस्पर ही एक ही परिवार के सदस्य है एंव संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए संयुक्त रहते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित खाता मे घराघरू बंटवारा के अनुसार दफा 3 में वर्णित के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा इसी अनुसार काबिज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादीगण के हितो पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है तथा वादीगण रहन, बेचान इत्यादि की सुविधा लेने से वंचित हो रहे है। वादीगण मुताबिक घराघरू विभाजन घोषणा पाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का उक्त घराघरू बंटवारा अनुसार पक्षकारो के मध्य सहमति हुई थी।

वादीगण इस आशय की घोषणा फरमाई जाने के अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 3 के मुताबिक घराघरू बंटवारा एंव वादी के हक व हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को निवेदन कर वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित घराघरू बंटवारे एंव वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि के अनुसार वादीगण के नाम उक्त कृषि भूमि को दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है।

वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवदेन है, कि वाद वादी के विरूद्ध प्रतिवादी निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी मुताबिक वाद पत्र की मद संख्या 3 में चक 5 ए.डब्ल्यू.एस.एम. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 47 / 43 खाता सुरजाराम, जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के पत्थर नम्बर 119 / 336 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 7 ता 10, पत्थर नम्बर 119 / 337 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 पत्थर नम्बर 119 / 338 मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 1 व 2 पत्थर नम्बर 120 / 336 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 14, 17, 24 कुल किला 14 कुल क्षेफल 3.542 हैक्टर व एवम् इसी चक के खाता संख्या 48 / 44 खाता सुरजाराम पत्थर नम्बर 119 / 336 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 11 ता 13, पत्थर नम्बर 120 / 336 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 4, 7, 8, 13 कुल किला 7 कुल क्षेत्रफल 1.771 हैक्टर एवम् चक 18 के.एस.पी. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 170 / 150, खाता सुरजाराम, जमावन्दी सम्वत 2074–77 के पत्थर नम्बर 129 / 330 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 11 ता 15 कुल किला 5 यानि 1.265 हैक्टर इस प्रकार तीनो खातों में कुल किला 26 यानि 6.578 हैक्टर में प्रत्येक वादीगण के नाम 1 / 4 हिस्सा की घोषणा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अकन किये जाने के आदेश फरमाये जाये।

(ख) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जाये।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी को प्रदान करना उचित समझे, दिलवाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 29.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

द्वारा पढनें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो आपस में पिता, पुत्र, भाई सास बहिन वगैरा का सम्बन्ध है। पक्षकारान के रिश्तेदारो व भाई बन्धुओ ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है ताकि एक परिवार के लोगो में आपसी स्नेह तथा भाईचारा बना रहे तथा एक परिवार के लोगो को मुकदमें बाजी से बचाया जा सके और लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने मुताबिक घरेलू बंटवारा एंव हक व हिस्सा की कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि का निम्न प्रकार से घरेलू बंटवारा करनें पर सहमत हुए है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 5 ए.डब्ल्यू.एस.ए. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 47/43, खाता सुरजाराम, जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के पत्थर नम्बर 119/336 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 7 ता 10, पत्थर नम्बर 119/337 मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25, पत्थर नम्बर 119/338 मुरब्बा नम्बर 19 किला नम्बर 1 व 2, पत्थर नम्बर 120/336, मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 14, 17, 24, कुल किला 14 कुल क्षेत्रफल 3.542 हैक्टर एंव इसी चक के खाता संख्या 48/44, खाता सुरजाराम, पत्थर नम्बर 119/336 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 11 ता 13, पत्थर नम्बर 120/336 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 4, 7, 8, 13 कुल किला 7 कुल क्षेत्रफल 1.771 हैक्टर एंव चक 18 के.एस.पी., तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 170/150, खाता सुरजाराम, जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के पत्थर नम्बर 129/330 मुरब्बा नम्बर 57 किला नम्बर 11 ता 15 कुल किला 5 यानि 1.265 हैक्टर इस प्रकार तीनो खातों में कुल किला 26 यानि 6.578 हैक्टर दर्ज राजस्व रिकार्ड है

उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 का हक व हिस्सा है। प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 की शादी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अच्छे घर में अच्छा दान दहेज देकर की हुई है। प्रतिवादी सख्या 2 ता 4 अपने ससुराल में राजीखुशी निवास कर रही है तथा वादग्रस्त आराजी में जो भी हक व हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 का बनता था वो उनके द्वारा अर्सा दराज पूर्व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क किया हुआ है। वादी का प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा हो गया है। पक्षकारान राजीनामा अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण, 1/4 हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजीनामा की दफा 2 में अंकितानुसार घरेलू बंटवारा करने पर पक्षकारान की सहमति हुई है तथा पक्षकारान ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा को पढ, सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया है तथा सभी पक्षकारान ने उक्त राजीनामा को अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से बिना किसी दवाब व बहकावे के अपने स्वतंत्र व स्वच्छ मन से स्वीकार किया जाकर तहरीर व तस्दीक करवाया है।

राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा की दफा 2 में वर्णितानुसार 6.578 हैक्टर में प्रत्येक वादीगण 1/4 हिस्सा कृषि भूमि की घोषणा वादीगण के नाम से की जाकर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 1 का नाम संयुक्त रूप से जोडा जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर दावा डिक्री किये जाने के आदेश फरमावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

Web Copy, Not official

Scanned by CamScanner

इस सम्बन्ध मे आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–63, 38–39–40 आर.आर.डी. 1966 पेज 71 [illegible] 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. [illegible] (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1976 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत [illegible] व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या [illegible] किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी [illegible] अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के [illegible] आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग [illegible] क्रमांक प.6(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में भूमि के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पति मे जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति मे पिता के जीवनकाल मे ही [illegible] विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को [illegible] मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धडी या किसी के प्रभाव मे न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार सयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति मे शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमे सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बटवारा करवा सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 सुरजाराम के नाम चक 5 ए. डब्ल्यू.एस.एम. की 5.313 हैक्टर व चक 18 के.एस.पी की 1.265 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादीगण जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होने के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होने से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 5 ए.डब्ल्यू.एस.एम. के खाता संख्या 47/43 की 3.542 हैक्टर व खाता संख्या 48/44 की 1.771 तथा चक 18 के.एस.पी. के खाता संख्या 170/150 की 1.265 हैक्टर इस प्रकार कुल 6.578 हैक्टर भूमि में वादी संख्या एक भागीरथ, वादी संख्या 2 काशीराम, वादी संख्या 3 रामप्रताप व प्रतिवादी संख्या 1 सुरजाराम को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

लगातार 5

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
[illegible]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनाक 22.08.2019 को लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 174/2019

1 भागीरथ
2 काशीराम
3 रामप्रताप

} पिसरान श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 5 किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1 सुरजाराम पुत्र श्री तेजाराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 5 किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2 सावित्री पुत्री सुरजाराम पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी आशाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
3 कमला पुत्री सुरजाराम पत्नी औमप्रकाश जाति जाट निवासी आशाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
4 माया पुत्री सुरजाराम पत्नी वेदप्रकाश जाति जाट निवासी फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 22.08.2019

वादीगण की और से श्री शिवराजसिंह खोसा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री श्री कुमार सोलंकी अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 22.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 5 ए.डब्ल्यू.एस.एम. के खाता संख्या 47/43 की 3.542 हैक्टर व खाता संख्या 48/44 की 1.771 तथा चक 18 के.एस.पी. के खाता संख्या 170/150 की 1.265 हैक्टर इस प्रकार कुल 6.578 हैक्टर भूमि में वादी संख्या एक भागीरथ, वादी संख्या 2 काशीराम, वादी संख्या 3 रामप्रताप व प्रतिवादी संख्या 1 सुरजाराम को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 22.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

मुहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner